तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-4-16	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी प्रार्थना पत्र पर बहस कायदा करना चाहते हैं बहस हेतु अवकाश लिया जाता है। वास्ते प्रार्थना पत्र के बहस हेतु पत्रावली दिनांक 8-7-16 को पेश हो।	
31-5-16 नि-प प्रदी	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प गांव पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील/ इत्तला तामील प्राप्त नहीं हुये। वादी स्वयं उपस्थित/ अन्य वादीगण उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। वादीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रं 1 के विरुद्ध दादरसी चाही गयी है न कि प्रतिवादी क्रं 2 ता 14 के विरुद्ध। इस कारण प्रतिवादी क्रं 2 ता 14 का नाम वाद पत्र में से डिलिट करते हुए तथा प्रतिवादी क्रं 1 के विरुद्ध चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावे। खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः न्याय हित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रं 2 ता 14 का नाम वाद पत्र में से डिलिट किये जाने का आदेश दिया जाता है इस कारण वाद पत्र के अनवान में से प्रतिवादी क्रं 2 ता 14 का नाम डिलिट किया जाता है	

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बा

तथा प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध चाहे गये मुताबिक दावा
वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे।

वादी ने पूर्व बहस करनी चाही। वादी की बहस
सुनी गयी। बहस के दौरान वादी ने वाद पत्र में
अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के मुताबिक वाद पत्र को
स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा की गयी
बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात
ग्राम आड़ पटवार हल्का आड़ तहसील माण्डल
जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर बाबू S/o काना,
कैलाश, परशराम, S/o गोपाल, देवुडी, लाली, गीता
D/o गोपाल, लादू, गोपाल, शंकर, S/o जगन्नाथ, रामकन्या
W/o रतन, राधेश्याम, मोहन S/o भेरा रेगर, के नाम
दर्ज रेकार्ड है. जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड
जमाबंदी की नकल सम्वत 2069 से 2072 से होती है।
विवादित आराजियात पुश्तैनी होकर संयुक्त खातेदारी
में है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी
की नकल सम्वत 2041 से 2044 से होती है। जिसके
विवादित आराजियात काना, गोपाल, लादू, गोपाल, शंकर
S/o जगन्नाथ, व कमला बाई बेवा जगन्नाथ के नाम
दर्ज थी। जरिये इन्तकाल नम्बर 0752 दिनांक 17-12-86
के द्वारा विरासत के काना फौत हो जाने के काना के
नाम तथा मोहनी बेवा
बजाय बाबू S/o काना के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी
काना के नाम दर्ज करने की 2041 से 2044 से होती
ताईद जमाबंदी की नकल व वाद पत्र में अंकित तथ्यों
है। प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि वादीगण काना की पुत्रियां है। जिनकी
ताईद प्रस्तुत वाद पत्र की कलम नं. 2 में अंकित कथन

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की ... में जा...
	के होती है प्रतिवादी सं. 1 जो वादीगण का भाई है. विवादित कृषि भूमि का इन्तकाल खोलते समय विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही केवल मात्र बाबू उर्फ लाला का नाम खोल दिया, जिसके वादीगण अपने हक हिस्से की काश्तकारी से वंचित हो गये। विवादित काश्तकारी अविभाजित होकर संयुक्त परिवार की है. जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व अन्य खातेदार के रूप-अपने हिस्से व कब्जे इकरार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिस खातेदारी हैसियत से नाम राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नहीं होने से दर्ज कराना चाहते है तथा वह भी प्रतिवादी सं. 1 के साथ-साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराना चाहते है वादीगण कानूनन भी प्रतिवादी व पत्नी होने के प्रथम श्रेणी के वारिसान भी है, इस कारण विवादित काश्तकारी में हक व हिस्सा होने से राजस्व रिकार्ड चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 2 से 14 ~~[illegible]~~ के विरुद्ध कोई दावा वादीगण द्वारा नहीं चाहने से वाद पत्र में से नाम विलोपित किये जाने का भी आदेश किया जाता है. वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में न होने तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से काश्तकारी में से वादीगण को वंचित करने के कारण तथा बेदखल करने से वादीगण ने यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपना वाद ~~[illegible]~~ को सिद्ध करने में सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। :: आदेश :: वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भाई पटवार हल्का भाई तहसील मांडल को	

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी ... माण्डल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खाता नं. 518 में स्थित, हाल खसरा नं० 639, 640, 641, 642, 649, 650, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 कुल किता 13 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, व खाता नं. 520 में स्थित हाल खसरा नं. 450, 691, 692, 693, 694, 695 कुल किता 6 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, व खाता नं. 675/1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 677/1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से वादीगण को उनके हक व हिस्से का खातेदार प्रतिवादी नं. 1 के साथ-साथ घोषित किया जाता है। उसी के अनुसार भूमि वादीगण के हक-हिस्से की प्रतिवादी नं. 1 के साथ-साथ नामजद रेकार्ड में दर्ज की जावे। प्रतिवादी नं. 1 विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एक तरफा भी जारी की जाती है कि वह वादीगण के हक व हिस्से की आराजियात का उपयोग-उपभोग शांतिपूर्वक करने देवें, तथा किसी प्रकार से वादीगण के हक हिस्से से बेदखल न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद कम शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मण्डल	